

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
ऐक्सिस बैंक बनाम विनय कुमार शर्मा  
प्रकरण संख्या 243/2017 ( धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
17.10.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न बंधक संपत्ति के दस्तावेजों में संपत्ति मालिक का नाम भिन्न है।</p> <p>अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

4/10/22  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर